न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :— प्रभजोत सिंह गिल आर.ए.एस.
राजस्व वादपत्र संख्या :— 179 / 2021

1 सन्तोष पुत्री देवीलाल पत्नी महावीर जाति जाट निवासी कुलचंद्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़ निवासी मलिकपुरा तहसील डबवाली जिला सिरसा हरियाणा

.....प्रार्थीया

बनाम

1 देवीलाल पुत्र सरवनराम जाति जाट निवासी कुलचंद्र तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

2 तहसीलदार खाजूवाला तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर।

.... अप्रार्थीगण

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 212 आरटीएक्ट

—: निर्णय :— दिनांक :— 15.3.2022

प्रार्थीया के प्रा.पत्र का अहक बिन्दु यह है कि विवादित जमीन अप्रार्थी देवीलाल द्वारा टिब्बी के चक 7 एफटीपी और 8 सीडीआर में स्थित जमीन से हासिल आमदनी से खरीद की है इसलिए विवादित जमीन में प्रार्थीया का हक निहित है। अप्रार्थी सं0 1 ने जवाब में कहा है कि विवादित जमीन उसे विशेष आवंटन के जरिए हासिल हुई है इसलिए यह उसकी स्वअर्जित संपति है। इसलिए प्रार्थीया का इसमें कोई अधिकार नहीं है।

अदालत का मानना है कि इस मामले में जांच की जानी जरूरी है कि विवादित जमीन का अलॉटमेंट कब हुआ, टिब्बी स्थित जमीन की आमदनी का इसमें कोई योगदान है या नहीं इसलिए पूर्व में जारी किया गया स्थगन आदेश कायम रखा जाता है।

(प्रभजोत सिंह गिल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)